फर्द अहकाम

कमलेश कुमावत वगै0 बनाम मंगलचन्द वगै0

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या......31/2024...... T.I.

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	विशेष विवरण
	18.06.2024	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री अंकित दाधीच ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना गया। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक शपथ पत्र भी पेश किया। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी को सुनने पर मामला प्रथम दृष्टया अस्थाई निषेधाज्ञा का होना जाहिर किया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी ख.न. 4198/2987 रकबा 0.4489 हैक्टेयर , ख.नं. 4200/2990 रकबा 1.3088 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.7877 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 22.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी,जिला–दूदू	
	22/8/24	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/9/24 को पेश हो	
	28/8/24	आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ तलब प्रा. पत्र के आधार पर तलब फरमायी गई प्रार्थी ने अपना मूलवाद विड्रा प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज करवा लिया है अतः प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं है प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. में कमही दाखिल दफ्तर रहे उपखण्ड अधिकारी फागी,जिला–दूदू	